



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1527/RJ/8/2023-ESDW

दिनांक: 20.04.2023

श्री नरेंद्र गुप्ता,
जिला कलेक्टर,
जिला कार्यालय
जिला - बारां,
राजस्थान - 325205
ई-मेल: dm-brn-rj@nic.in


श्री आलोक गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
राजस्थान सरकार,
5213, मुख्य भवन, शासन सचिवालय,
जयपुर, राजस्थान
ई-मेल: ps-tad@rajasthan.gov.in

विषय: बारां जिले के लगभग 60 सहरिया जनजाति के परिवारों को मूलभूत सुविधाओ दिलाने के संबंध में श्री बनवारी लाल मीना, 83/28 अरावली मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान का दिनांक 13.03.2023 का अभ्यावेदन

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री बनवारी लाल मीना से दिनांक 13.03.2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.


(डॉ. जयंत सरोदे)
निदेशक

प्रतिलिपि संलग्न:

1. श्री बनवारी लाल मीना,
83/28 अरावली मार्ग, मानसरोवर,
जयपुर, राजस्थान

2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर
अपलोड करने हेतु।